"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015—भाद्र 27, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लीलु राम साहू आत्मज स्व. लखन लाल साहू, आयु 58 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम खम्हरिया (जुनवानी) भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेज एवं नामिनेशन में मेरी पत्नी का नाम रूखमणी बाई, उम्र 53 वर्ष लिखा गया है जबकि मेरी पत्नी के आधार कार्ड/पेन कार्ड में श्रीमती रूखमणी साहू लिखा हुआ है. मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रूखमणी साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को श्रीमती रूखमणी साहू पति श्री लीलु राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती रूखमणी बाई पति- श्री लीलु राम साहू निवासी-ग्राम खम्हरिया (जुनवानी) भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती रूखमणी साहू पति- श्री लीलु राम साहू निवासी-ग्राम खम्हरिया (जुनवानी) भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेन्द्र कुमार चौधरी आत्मज स्व. कालीराम चौधरी, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.85/जे, मालेश्वर किराना शाप सुन्दरनगर, कैम्प 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के रिकार्ड में मेरा नाम सुरेन्द्र चौधरी आत्मज कालीराम दर्ज है जबकि मेरे पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्टेट बैंक के पासबुक में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार चौधरी आत्मज कालीराम चौधरी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुरेन्द्र कुमार चौधरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुरेन्द्र कुमार चौधरी आत्मज स्व. कालीराम चौधरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुरेन्द्र चौधरी
आत्मज स्व. कालीराम
निवासी-केम्प नं. 1, सुन्दर नगर
मालेश्वर किराना दुकान
क्वा. नं. 85/जे, पोस्ट सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन 490023

नया नाम

सुरेन्द्र कुमार चौधरी
आत्मज स्व. कालीराम चौधरी
निवासी-केम्प नं. 1, सुन्दर नगर
मालेश्वर किराना दुकान
क्वा. नं. 85/जे, पोस्ट सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन 490023

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ई. बालासुब्रमणियम उर्फ ई. सोमायाजुलु आत्मज स्व. ई. सुब्रमणियम, निवासी-4/29, इस्पात नगर रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं वर्तमान में विद्यार्थी हूं. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम ई. बालासुब्रमणियम दर्ज है तथा कुछ स्थानों में मेरा नाम ई. सोमायाजुलु भी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम ई. सोमायाजुलु रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ई. सोमायाजुलु आत्मज स्व. ई. सुब्रमणियम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ई. बालासुब्रमणियम उर्फ ई. सोमायाजुलु
आत्मज स्व. ई. सुब्रमणियम
निवासी-म. नं. 4/29, इस्पात नगर रिसाली भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

ई. सोमायाजुलु
आत्मज स्व. ई. सुब्रमणियम
निवासी-म. नं. 4/29, इस्पात नगर रिसाली भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/798 .—प्रगति हरिजन मछुवा सहकारी समिति मर्या. दामापुर पंजीयन क्रमांक 3522 विकास खण्ड पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 752 दिनांक 28-07-2015 जारी किया गया था, किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रगति हरिजन मछुवा सहकारी समिति मर्या. दामापुर पंजीयन क्रमांक 3522 को इस आदेश के दिनांक /08/2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. ध्रुव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रगति हरिजन मछुवा सहकारी समिति मर्या. दामापुर, पंजीयन क्रमांक 3522 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्र. /उपंबि /परिसमापन/2015/1105 .—छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे लिखित में प्रमाण सहित 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंपे देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	सृष्टि गामगार सहकारी समिति मर्या. सीपत	248/04-10-07	श्री आर. सी. ध्रुव, स. वि. अ. मस्तुरी
2.	सिंधु थ्रिफ्ट साख सहकारी समिति मर्या. जरहाभाठा बिलासपुर.	310/26-07-12	श्री डी. बी. ढादगवे, व. स. नि.
3.	एस. एस. उद्योग साख सह. समि. मर्या. गोलबाजार बिलासपुर.	149/16-06-03	श्री ए. के. शर्मा, स. वि. अ. बिल्हा
4.	महिला बहु. सह. समि. मर्या. नवागांव (मोहदा).	173/06-10-04	श्री एन. आर. भगत, सह. निरी. (स. वि. अ. कोटा)
5.	महिला साख सह. समि. मर्या. चांटीडीह	214/04-03-05	श्रीमती शोभा बंदे, व. स. नि.
6.	निषाद मछुआ सह. समि. मर्या. टिकरापारा बिलासपुर.	3558/02-09-89	श्रीमती नमिता विश्वास, सह. निरी.
7.	महिला बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर	478/14-09-94	कु. गोधुली वर्मा, सह. निरी.
8.	भवानी महिला बहु. सह. समिति मर्या. बसिया	122/02-11-01	कु. गोधुली वर्मा, सह. निरी.
9.	विकास महिला बहु. सह. समि. मर्या. मोपका	109/26-04-01	श्रीमती मीनु अग्रवाल, उप अंके.
10.	शक्तिदाई कामगार सह. समि. मर्या. बिटकुला.	272/10-08-09	श्री आर. सी. ध्रुव, स. वि. अ. मस्तुरी
11.	वैष्णव देवी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. अमेरी.	3915/29-09-98	श्रीमती सिमरन टेकचंदानी उप अंके.
12.	गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरारी गोढ़ी (बिटकुला).	125/29-01-02	श्री ए. के. शर्मा, स. वि. अ. बिल्हा
13.	मां काली महिला बहु. सह. समि. मर्या. तिफरा	244/25-04-07	श्री श्वेता दुबे, उप अंके.
14.	दक्षिण पूर्वी रेल्वे वेंडर साख सह. समि. मर्या. बिलासपुर.	3531/20-07-94	श्रीमती शिवानी मुले, उप अंकेक्षक.
15.	दी टेलीग्राफ कर्म. साख सह. समि. मर्या. बिलासपुर.	3140/24-07-85	श्री श्वेता दुबे, उप अंके.

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	शिवशंकर महिला बहु सह. समि. मर्या. यदुनंदननगर बिलासपुर	3938/21-06-99	श्रीमती शिवानी मुले, उप अंकेक्षक
17.	महिला बहु. सह. समि. मर्या. चोरभट्ठीकला.	193/31-01-05	श्री एन. आर. भगत, सह. निरी. (स. वि. अ. तखतपुर)
18.	जागृति महिला बहु. सह. समि. मर्या. बेलगहना.	190/31-10-05	श्री एन. आर. भगत, सह. निरी. (स. वि. अ. कोटा)
19.	प्रगति महिला बहु. सह. समि. मर्या. इंदिरानगर बिलासपुर.	231/14-12-06	श्रीमती नमिता विश्वास, सह. निरी.
20.	गौण खनिज सह. समिति मर्या. सिलपहरी	143/17-7-03	श्री इरशाद सिद्दकी, उप अंके.
21.	अन्नपूर्णा महिला बहु. सह. समि. मर्या. बुटेना.	224/29-05-07	श्री इरशाद सिद्दकी, उप अंके.
22.	कृषक कल्याण सह. समि. मर्या. परसदा.	3952/01-06-00	श्री एस. के. तिवारी, सह. निरी.
23.	को-आप. इम्पलाई साख सह. समि. मर्या. बिलासपुर.		श्री ए. के. शर्मा, स. वि. अ. बिल्हा
24.	लक्ष्मी महिला साख सह. समि. मर्या. राजकिशोरनगर बिलासपुर.	249/25-10-07	श्रीमती मीनु अग्रवाल, उप अंके.
25.	मां त्रिपुर सुन्दरी महिला बहु. सह. समि. मर्या. सिरगिट्टी बिलासपुर.	239/03-01-07	श्रीमती शिवानी मुले, उप अंकेक्षक
26.	दुग्ध उत्पादक सह. समि. मर्या. राजपुर (बी).	3166/31-3-86	श्री एन. आर. भगत, सह. निरी. (स. वि. अ. तखतपुर)
27.	गिट्टी पत्थर खदान सह. समि. मर्या. नेवसा.	3738/06-09-96	श्री श्रीकांत शुक्ला, उप अंके.
28.	श्री लखनीदेवी ढेसहार मजदूर सह. समि. मर्या. रतनपुर.	3853/11-3-97	श्री आर. डी केशरवानी, उप अंके.
29.	आदिवासी मछुआ सह. समि. मर्या. कटरा.	3134/29-10-84	श्री सी. पी. बाजपेई, व. स. नि.
30.	मां भगवती महिला मछुआ सहकारी समिति मर्या. सीपत.	3640/09-03-95	श्री जी. डी. पाण्डेय, सह. निरी.
31.	नवोदित मछुआ सह. समि. मर्या. मल्हार.	3202/12-11-87	श्री आर. सी. ध्रुव, स. वि. अ. मस्तुरी

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	आदि. मछुआ सह. समि. मर्या. कोरबी	3866/19-06-97	श्री ए. के. शर्मा, स. वि. अ. बिल्हा
33.	महिला बहु. सह. समि. मर्या. धनगवां	552/05-12-09	श्री आर. सी. ध्रुव, स. वि. अ. मस्तुरी
34.	छ. ग. महिला बहु. सह. समि. मर्या. सिंधी कालोनी बिलासपुर.	131/04-07-02	सुश्री संध्या सोनवानी, सह. निरी.
35.	अम्बा साख सहकारी समिति मर्या. शास्त्रीनगर बिलासपुर.	266/12-01-09	सुश्री संध्या सोनवानी, सह. निरी.
36.	सूर्य उजाला अनु. जाति मछुआ सह. समि. मर्या. केंवतरा.	188/29-01-05	श्री आर. सी. ध्रुव, स. वि. अ. मस्तुरी
37.	राजीव गांधी मछुआ सह. समि. मर्या. जोंधरा.	3735/17-01-76	श्री आर. सी. ध्रुव, स. वि. अ. मस्तुरी
38.	शिवनाथ महिला मछुआ सह. समि. मर्या. दगौरी.	3827/28-12-96	कु. पूजा बोथरा, सह. निरी.
39.	छ. ग. कर्म. साख सह. समि. मर्या. नगरनिगम बिलासपुर.	268/05-02-09	श्री आर. डी. कुल्हारा, अंके. अधि.
40.	पत्थर गिट्टी खदान सह. समि. मर्या. बांकीघाट.	3879-03-11-97	श्री एन. आर. भगत, सह. निरी.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/681 .—मॉ कामांक्षी देवी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. पिथौरा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 577 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2178 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत मॉ कामांक्षी देवी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. पिथौरा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 577 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/682 .—मॉ महामाया प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. सिनोधा, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 597 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2179 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत मॉ महामाया प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. सिनोधा, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 597 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मो. ईश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/684 .—रामजानकी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. खुसरूपाली, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 598 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2180 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत रामजानकी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. खुसरूपाली, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 598 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/685 .—फुलझर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. भवरपुर, विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 573 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2181 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत फुलझर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. भवरपुर, विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 573 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. के. डहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. बसना को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/686 .—प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. बिछिया, विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 575 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2182 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/ 15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. बिछिया, विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 575 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. के. डहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. बसना को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/687 .—लक्ष्मीपति बालाजी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. कोना, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 587 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2183 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/ 15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत लक्ष्मीपति बालाजी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. कोना, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 587 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मो. ईश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/688 .—जय बाबा चण्डी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. बोडरीदादर, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 592 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2184 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/ 15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत जय बाबा चण्डी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. बोडरीदादर, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 592 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/689 .—जय दुर्गा मॉ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. पीढी, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 595 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2184 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत जय दुर्गा मॉ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. पीढी, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 595 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मो. ईशहाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/690 .—जय बडादेव प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. गुडरूडीह, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 607 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2184 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत जय बडादेव प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. गुडरूडीह, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 607 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/691.—शिवम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. भंवरचुवां, विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 569 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2184 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत शिवम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. भंवरचुवां, विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 569 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. के. डहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. बसना को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/692 .— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. लोहारडीह, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 378 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2188 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. लोहारडीह, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 378 को परिसमापन में लाता हूॅं तथा श्री मो. ईश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/693 .—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सोरिद, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 379 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2189 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सोरिद, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 379 को परिसमापन में लाता हूॅं तथा श्री रवि मिश्रा, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/694.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. तुमगांव, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 380 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2190 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅं,, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. तुमगांव, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 380 को परिसमापन में लाता हूॅं तथा श्री रवि मिश्रा, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/695 .— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मुरकी, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 381 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2191 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मुरकी, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 381 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. मेश्राम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/696 .—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मोंगरा, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 382 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2192 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मोंगरा, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 382 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/697.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. धनसूली, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 383 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2193 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. धनसूली, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 383 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. मेश्राम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/698 .— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. कौआझर, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 385 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2194 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. कौआझर, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 385 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री पी. के. मेश्राम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/699 .—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बस्तीपाली "स", विकासखण्ड सरायपाली, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 386 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2195 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बस्तीपाली "स", विकासखण्ड सरायपाली, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 386 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री एम. एल. कोटक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/700.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. रोहिना "बी", विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 387 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2196 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. रोहिना "बी", विकासखण्ड बसना, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 387 को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री ए. के. डहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. बसना को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/701 .— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. माटीदरहा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 390 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2197 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. माटीदरहा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 390 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/774 .— प्राथमिक किसान मजदूर ट्रेक्टर परिवहन सहकारी समिति मर्या. बागबाहरा, विकासखण्ड, बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 572 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2206 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक किसान मजदूर ट्रेक्टर परिवहन सहकारी समिति मर्या. बागबाहरा, विकासखण्ड, बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 572 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/775 .—प्राथमिक साबुन उद्योग सहकारी समिति मर्या. पिथौरा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 1833 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2205 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक साबुन उद्योग सहकारी समिति मर्या. पिथौरा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 1833 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/776.—प्राथमिक ग्रामीण तेलघानी सहकारी समिति मर्या. पिथौरा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 1723 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2204 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक ग्रामीण तेलघानी सहकारी समिति मर्या. पिथौरा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 1723 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/777 .— प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. गोपालपुर, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 1859 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2207 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. गोपालपुर, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 1859 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/778 .—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सुखीपाली, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 391 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2198 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सुखीपाली, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 391 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/779.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बगारदरहा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 389 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2199 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बगारदरहा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 389 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/780 .— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बिजेपुर, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 388 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2200 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बिजेपुर, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 388 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/781 .—डॉ. अम्बेडकर ईट निर्माण सहकारी समिति मर्या. सावित्रीपुर, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 430 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2202 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत डॉ. अम्बेडकर ईट निर्माण सहकारी समिति मर्या. सावित्रीपुर, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 430 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/782.—प्राथमिक गौतम बुद्ध ईट खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या. बेलटुकरी, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 543 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2201 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक गौतम बुद्ध ईट खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या. बेलटुकरी, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 543 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मो. ईश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्रमांक /उप. पं. म. /परि./2015/783 .— महिला रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या. पचेडा, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 01 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2203 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत महिला रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या. पचेडा, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 01 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

एस. के. तिग्गा,
उप पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 सिंतबर 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक /स. पं. द. /परिसमापन/2015/229 .—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./AR/DWD/202 दिनांक 30-07-2015 के द्वारा प्राथ. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. पुरनतरई विकासखण्ड दन्तेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./BTR/40 दिनांक 30-03-84 है को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एस. सोरी (सह. निरी.) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की अंतिम प्रतिवेदन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एल. एल. बृंझ, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बस्तर संभाग जगदलपुर अतिरिक्त प्रभार सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दन्तेवाड़ा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.